

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

--: आदेश :-

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-40/(स0अनु0), /आ0प्र0, दिनांक-16.05.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुबहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपन्न कोड-N224502 1010002 मद में कुल मो0-60,00,000/- (साठ लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उपावंटन पश्चात् जिले में सुरक्षित मो0 35,00,000/- (पैंतीस लाख) अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं चौसा को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अंचल अधिकारी, आलमनगर	10,45,000=00	20,00,000=00	30,45,000=00
02	अंचल अधिकारी, चौसा	10,06,000=00	15,00,000=00	25,06,000=00
	कुल-	-	35,00,000=00	55,51,000=00

(मो0-पैंतीस लाख रुपये) मात्र

उपावंटन की शर्तें :-

- (1) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुबहिक राहत, उपशीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपन्न कोड-N2245021010002 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (3) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रतिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (4) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपन्न पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष -लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपन्न कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपन्न पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

- (5) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- (6) यह आवंटन बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु निर्गत किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार चक्रवाती तूफान के मद्देनजर भी किया जा सकता है।
- (7) आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1432/आ०प्र० दिनांक-04.04.16 एवं 1642/आ०प्र० दिनांक-22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक : 556 आ० प्र०, मधेपुरा, दिनांक : 31.7.16/2016

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, आलमनगर /चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा
31/7/16